

**उत्तरदायित्व से मुक्ति की घोषणा :**

टेनेंसी टर्मज़ ऐंड कंडिशनज़ (Tenancy Terms and Conditions) का अंग्रेज़ी प्रारूप एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसे अदालती काररवाई और कानूनी व्याख्या के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। अंग्रेज़ी से किसी दूसरी भाषा में किये गये अनुवादों का हमेशा ही, पूरी तरह सही और सटीक होना संभव नहीं है, और बी एच पी (BHP) तथा ब्रेंट काउंसिल (Brent Council) ऐसे अनुवादों की गारंटी नहीं देते और न उनको अधिकार देते हैं। अनुवादों में गलती होने के कारण होने वाली प्रत्यक्ष हानि और उनके परिणामों से जुड़े किसी भी नुकसान के प्रति वो किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त होने की घोषणा करते हैं। बोल-चाल की तरह-तरह की भाषायें मौजूद हैं और पूर्णतया सही अनुवाद होना लगभग असंभव है। टेनेंसी टर्मज़ ऐंड कंडिशनज़ की सामग्री और व्याख्या के संबंध में अगर आपकी अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो मुक्त कानूनी सलाह लीजिये।

# किराएदारी की शर्तें (Tenancy Conditions)

किराएदारी के करारनेम (टेनेन्सी ऐग्रीमेंट) की यह शर्तें निम्नलिखित के बीच तै पाई हैं:

- आप, यानी किराएदार (एक या कई), जिनका नाम करारनामे में दिया गया है, और
- हम (यानी, लंदन बारो ऑफ ब्रेंट);

उस प्रापर्टी के लिये जिसका विवरण करारनामे में दिया गया है (जिसे इन नियमों और शर्तों के तहत 'आपका घर' या 'आपका मकान' कहा गया है)

## सूचिका

पार्ट ए (A)	परिचय	पृष्ठ 2
पार्ट बी (B)	किराया	पृष्ठ 3
पार्ट सी (C)	मरम्मत	पृष्ठ 4
पार्ट डी (D)	मकान में प्रवेश लेना	पृष्ठ 7
पार्ट इ (E)	अपने मकान का प्रयोग	पृष्ठ 8
पार्ट एफ (F)	परेशान करना और डरान-धमकाना	पृष्ठ 11
पार्ट जी (G)	फ़्लैट्स, मेसोनेट्स और सामुहिक स्थान	पृष्ठ 13
पार्ट एच (H)	पालतू जानवर (पेट्स)	पृष्ठ 14
पार्ट आई (I)	गाड़ियाँ	पृष्ठ 14
पार्ट जे (J)	अपना मकान छोड़ना और किराएदारी समाप्त करना	पृष्ठ 15
पार्ट के (K)	सूचना उपलब्ध कराना, सलाह लेना और किराएदारों को व्यवस्था में शामिल रखना	पृष्ठ 16
पार्ट एल (L)	नोटिस	पृष्ठ 17

# परिचय

## पार्ट ए (Part A)

(नोट: दस्तावेज़ को सरल रखने के लिये वाक्यों में केवल एक ही लिंग इस्तेमाल किया गया है, परंतु यह स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिये है)

- 1 टेनेंसी एग्रीमेंट (करारनामा) आपके और हमारे बीच एक अनुबंध (कांट्रैक्ट) है जो क़ानून के तहत लागू किया जा सकता है। इस करारनामों में बताया गया है कि आपके तथा हमारे अधिकार और दायित्व क्या हैं।
- 2 आपके कुछ अधिकार और कुछ ज़िम्मेदारियां क़ानून के अनुसार तै हैं। उदाहरण के लिये एक सुरक्षाप्राप्त (सेक्योर) किराएदार की हेसियत से आपके निम्नलिखित अधिकार हो सकते हैं:
  - मृत्यु होने पर आपकी किराएदारी किसी अन्य को मिल सकती है;
  - किसी अन्य किराएदार से आप अपना मकान बदल सकते/सकती हैं;
  - अपना मकान आप ख़रीद सकते/सकती हैं;
  - आपका मकान हम मरम्मत न कर पाएं तो आप स्वयं ही उसकी मरम्मत करा सकते/सकती हैं;
  - अपने मकान में सुधार ला सकते/सकती हैं;
  - आपसे सलाह ली जानी चाहिये;
  - आप अपने मकान में लाजर्स रख सकते/सकती हैं;
  - अपने मकान का कुछ हिस्सा आप किराए पर दे सकते/सकती हैं;
- 3 अगर आप किसी की साझेदारी में किराएदार (ज्वाइंट टेनेंट) हैं तो आपके अधिकार और दायित्व वैसे ही होंगे जैसे अन्य किराएदार या किराएदारों के होते हैं। आपके अधिकार और दायित्वों को किराएदारों के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी किराएदार ने यदि करारनामे की किसी शर्त को तोड़ा तो इस से सब किराएदार प्रभावित होंगे। किसी एक किराएदार ने यदि अपनी किराएदारी समाप्त करने का नोटिस दिया तो उस से सब की किराएदारी समाप्त समझी जाएगी।
- 4 1 अक्टूबर 2002 से किराएदारी की हमारी व्यवस्था ब्रेंट हाउसिंग पार्टनरशिप लिमिटेड (BHP) द्वारा चलाई जा रही है। आपके हाउसिंग ऑफ़िसर बी-एच-पी के लिये कार्य करते हैं, जबकि आपकी किराएदारी हमारे साथ है।
- 5 आपकी किराएदारी उस तारीख़ से शुरू होती है जो आपके टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखी है। किराएदारी एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक जारी रहती है, जब तक कि आप या हम उसको समाप्त न कर दें।
- 6 काउंसिल की अधिकांश किराएदारियां सेक्योर टेनेंसीज़ (सुरक्षित किराएदारियां) कहलाती हैं। इसका मतलब यह है कि हम कोर्ट-आर्डर ले कर ही आपकी किराएदारी समाप्त कर सकते हैं, जिसको पज़ेशन-आर्डर भी कहा जाता है। जिन कारणों से हम पज़ेशन-आर्डर ले सकते हैं उनका विवरण क़ानून में दिया गया है।
- 7 अगर आप अपना किराया नियमितता से देते/देती रहें और अपने टेनेंसी एग्रीमेंट तथा इन शर्तों के अनुसार चलते/चलती रहें तो आम तौर पर हमें कोर्ट से पज़ेशन-आर्डर लेने की

आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिवाए उस परिस्थिति में जब हमें आपके मकान का पुनःनिर्माण करने के लिये आपको कहीं और मकान देना पड़े।

- 8 आपका मकान आपका मुख्य और केवल निवास होना चाहिये। अगर आपके पास कोई दूसरा घर भी है तो आप सेक्योर-टेनेंट (सुरक्षित किराएदार) नहीं रह पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हम कोर्ट से पजेशन-आर्डर ले सकते हैं, ताकि आपसे मकान खाली कराया जा सके।
- a इन शर्तों के अधिकांश अध्यायों में अतिरिक्त नोट्स (टिप्पणियां) दी गई हैं, ताकि आपको टेनेंसी एग्रीमेंट को समझने में आसानी रहे। यह नोट्स करारनामे का भाग नहीं हैं, और कानून के अनुसार लागू भी नहीं किये जा सकते, क्योंकि वे केवल सूचना की व्याख्या के लिये हैं।

## नोट्स (टिप्पणियां)

- a अपनी किराएदारी के संबंध में यदि आपको कुछ पूछना हो, या आपको अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में और ज़्यादा जानाकारी चाहिये तो अपने हाउसिंग आफिसर से बात करें। जानकारी आपको किसी सालीसिटर या सलाह सेंटर से भी मिल सकती है, जैसे सिटीज़ंस एडवाइस इत्यादि।
- b हमारी हाउसिंग सर्विस से यदि आपको शिकायत है तो अपने हाउसिंग आफिसर से बात करें। उनके उत्तर से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो शिकायत करने के तरीके के बारे में उनसे पूछें।
- c कुछ किराएदारों ने टेनेन्ट-मेनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन (TMO) यानी किराएदारों की संस्थाएं बनाई हुई हैं। आपकी किराएदारी की व्यवस्था अगर टी-एम-ओ चलाती है तो आपको उनके पास जाना चाहिये। इस दस्तावेज़ में जहां भी यह कहा गया है कि आपको अपने हाउसिंग आफिसर से संपर्क करना चाहिये तो टी-एम-ओ की परिस्थिति में आपको बी-एच-पी हाउसिंग ऑफिस न जा कर कर टी-एम-ओ के पास जाना चाहिये।

## पार्ट बी (Part B)

### किराया

- 1 किराएदारी पर हस्ताक्षर करते समय आपको पहले सप्ताह का किराया अदा करना होता है। उसके बाद अगले सप्ताह का किराया और सर्विस चार्ज (यदि है तो) हर सप्ताह सोमवार को अग्रिम (एडवांस में) अदा करने होंगे।
- 2 यदि आप साझेदारी में किराएदार हैं तो आप और साझेदार (एक हों या कई) बराबरी से किराया और शेष किराया (एरियरर्स) यानी पहले से बाकी किराया देने के ज़िम्मेदार हैं। बाकी किराया भुगतान करने के लिये हम साझेदारों में से किसी भी किराएदार से कह सकते हैं। साझेदारी में शामिल किराएदार यदि आपका मकान छोड़ कर चला जाता है तो भी वह किराया देने का ज़िम्मेदार है, और वह किराएदार भी जो आपके घर में अब अकेला रह रहा है।
- 3 आप पर यदि ब्रेंट काउंसिल के पहले किसी मकान का किराया बाकी है तो वो किराया भी इस किराएदारी के रेंट में शामिल कर दिया जाएगा। तब आप जो भी किराया भुगतान करेंगे उसकी राशि पहले बाकी किराया चुकाने में लगाई जाएगी।

- 4 आपको चार सप्ताह का लिखित नोटिस देकर हम कभी भी किराए की दर बदल सकते हैं।
- 5 आपके घर से संबंधित किसी भी कारण यदि हमें आपको किसी प्रकार का हरजाना (कम्पनसेशन) देना पड़ा और आप पर यदि किराया बाकी है या मकान से संबंधित किसी अन्य प्रकार का कर्ज़ आपको हमें वापिस करना है (हाउसिंग बेनिफिट या काउंसिल टैक्स को छोड़ कर) तो हरजाने की राशि किराया या कर्ज़ कम करने के लिये प्रयोग की जाएगी।
- 6 यदि हमें आपको कोर्ट लेजाना पड़ा तो केस से संबंधित खर्च हम आपके रेंट एकाउंट में जोड़ देंगे।
- 7 मकान में आवश्यक काम करने के लिये यदि आपने हमें प्रवेश नहीं दिया तो इसका जो भी खर्च आएगा वह हम आपके रेंट-एकाउंट में जोड़ देंगे।

## नोट्स (टिप्पणियां)

- a अगर आप समय पर किराया देते रहें तो आपके रेंट-एकाउंट में पिछले किराए की राशि जमा नहीं होती रहेगी। देय होने की तिथि से अगले शुक्रवार तक यदि किराया हमें नहीं मिला तो समझा जाएगा कि आप पर पिछला किराया बाकी है।
- b अगर आप पर किराया बाकी है तो किराया वापिस लेने के लिये हम आपसे दृढ़तापूर्वक परंतु आदरमय तरीके से पेश आएंगे। इस परिस्थिति में हम आपको कर्ज़ से संबंधित सलाह देंगे और आपकी सहायता करेंगे। आवश्यक हुआ तो शेष राशि की वापिसी के लिये हम ऐसी इस्टॉल्मेंट तै करेगे जो आप दे सकें। किराया और शेष राशि भुगतान न करने पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसके कारण हो सकता है कि आपके मकान से निकाल दिया जाए।
- c हम आपको कई तरीकों से किराया भुगताने का अवसर देंगे।
- d यदि आप पर किराया बाकी हुआ तो आम तौर पर हम आपको वैकल्पिक (आल्टर्नेटिव) आवास यानी दूसरा मकान नहीं देंगे।
- e सामान्य किराए के अलावा कुछ किराएदारों को अतिरिक्त सेवाओं के लिये अतिरिक्त खर्च देना होता है। इस तरह का खर्च यदि आपको देना हुआ तो उसका ब्योरा टेनेंसी एग्रीमेंट में दिया जाएगा। अतिरिक्त चार्जेंज़ में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
  - कॉन्सिर्ज सर्विस (चौकीदारी सेवा)
  - हीटिंग

## पार्ट सी (Part C)

### मरम्मत

- 1 आपके मकान के बाहरी ढांचे की देखे-रेख और मरम्मत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, जिसमें नालियां (ड्रेंस), पानी के निकास के लिये गटर्स और ऊपर से नीचे जाने वाले पाइप (डाउन-पाइप) भी शामिल हैं।
- 2 निम्नलिखित चीज़ों की हम देखरेख करेंगे और उनको ठीक काम करने की अवस्था में रखेंगे:
  - a. आपके मकान में पानी, गैस और बिजली सप्लाई करने वाली फिटिंग्स

- b. टॉइलेट्स और पानी की फिटिंग्स (जिसमें बेसिन, सिंक और बाथ भी शामिल हैं)
  - c. कमरे और पानी के हीटर्स
- 3 अपने मकान के अंदर की डेकोरेशन आप खुद करेंगे और अंदर से मकान को उचित स्तर (स्टैंडर्ड) पर रखेंगे।
  - 4 मकान में मरम्मत से संबंधित कोई काम आपको दिखाई दे तो जितनी जल्दी संभव हो उसके बारे में अपने हाउसिंग आफिस को सूचित करें।
  - 5 आपके मकान में यदि आप से, आपके साथ रहने वालों से या आपके मुलाकातियों से कोई नुकसान हुआ तो उसका दायित्व आप पर होगा। ऐसे किसी भी काम के लिये क्योंकि हम पर दायित्व नहीं है, इसलिये उसको मरम्मत करने का खर्च आप से लिया जाएगा, परंतु पहले हम आपको स्वयं मरम्मत कराने का अवसर देंगे।
  - 6 आपको चाहिये कि अपने मकान का सही और उचित प्रयोग करें। मकान में लगे ग्रेट्स, ग्रिड्स, ड्रेनों और पानी के निकास की नालियों को साफ-सुथरा रखने के लिये आपको उचित उपाय करने चाहियें। इस बात का ध्यान भी रखें कि टॉइलेट्स और सिंक्स अटें नहीं (ब्लॉक न हों)।
  - 7 हाउसिंग ऐक्ट 1985, धारा 97 के तहत आपको अपने मकान में परिवर्तन लाने या उसे बेहतर बनाने का अधिकार है, परंतु इसके लिये आपको हमसे लिखित आज्ञा लेनी होगी। बिना किसी उचित कारण हम इसके लिये मना नहीं करेंगे। कुछ प्रकार के परिवर्तनों और सुधार के लिये आपको प्लानिंग पर्मिशन लेनी होगी।
  - 8 मकान में यदि आप सुधार लाए हैं तो किराएदारी समाप्त होने पर हो सकता है कि आपको उसके लिये पैसा दिया जाए।
  - 9 आपका मकान यदि फ्लैटों के ब्लॉक में है तो बिना हमारी लिखित आज्ञा आप वहां सेटलाइट डिश नहीं लगवा सकते। किसी उचित कारण बिना हम इसके लिये इंकार नहीं करेंगे।
  - 10 मकान में जो फिक्सचर्स और फिटिंग्स हमने लगाई हैं उनको हमारी लिखित आज्ञा बिना निकाला नहीं जा सकता।
  - 11 अपना मकान यदि आपने किसी अन्य किराएदार के मकान से बदला तो जिस नए मकान में आप आए हैं उस मकान में पहले किराएदार द्वारा की गई डेकोरेशन के आप ज़िम्मेदार होंगे। पहले किराएदार द्वारा यदि मकान में परिवर्तन लाए गए या सुधार किये गए हैं तो उनको ठीक रखने की ज़िम्मेदारी आप पर होगी, अगर ऐसी ज़िम्मेदारी लिखित रूप में स्वयं हमने नहीं ली है।
  - 12 आपके मकान में मरम्मत करने के लिये या किसी अन्य कारण से आने वाले ऑफ़िसर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स अपने पहचान-पत्र (आइडेंटिटी कार्ड्स) आपको दिखाएंगे।
  - 13 आपके मकान के बाहरी हिस्सों और सामुहिक स्थानों को हम कम से कम हर सात वर्ष में डेकोरेट करेंगे।

- 14 आपके मकान में मरम्मत का काम करने के बाद मरम्मत से संबंधित करघरा-कूड़ा, बिल्डिंग का माल-मसाला और यंत्रों को हम उचित समय में हटाएंगे। मरम्मत से संबंधित अव्यवस्था और बाधा को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे।
- 15 फ्लैटों के तमाम ब्लॉक्स और मेसोनेट्स में सामुहिक स्थानों, तमाम प्रवेशद्वार, हाल्स, सीढ़ियों, लिफ्ट्स, कचरे की शूट्स और लाइटिंग की मरम्मत हम करेंगे।
- 16 हाउसिंग ऐक्ट 1985 की धारा 96 के तहत कुछ प्रकार की मरम्मत यदि हमने निर्धारित समय में नहीं की तो उसका हरजाना हम आपको देंगे, जो कुछ शर्तों पर आधारित है।
- 17 आप पर यदि किराया देय है, या मकान से संबंधित कोई अन्य राशि बाकी है (हाउसिंग बेनिफिट और काउंसिल टैक्स को छोड़ कर) तो मरम्मत के काम से संबंधित यदि आपको हरजाना दिया जाना है तो उसकी राशि शेष किराया कम करने के लिये प्रयोग की जाएगी।

## नोट्स (टिप्पणियां)

- a अपने मकान के अंदर की डेकोरेशन के आप स्वयं जिम्मेदार हैं, जिसमें प्लास्टर की छोट-मोटी दराइं ठीक करना शामिल है। उन दराइं पर पेंट करने या पेपर लगाने से पहले ऊपरी सतह को कृपया ठीक से तैयार करें।
- b अपने मकान की देख-रेख यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो अपने हाउसिंग ऑफिसर से पूछें कि किस प्रकार की सहायता आपके लिये उपलब्ध है (उदाहरण के लिये 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिये असिस्टेड डेकोरेटिंग प्रोग्राम - Assisted Decorating Programme)।
- c निम्नलिखित की जिम्मेदारी भी आप पर है:
  - अपने मकान को साफ-सुथरा रखना।
  - मकान को नमी से बचाने के लिये हवा का निकास बनाए रखना और मकान को गर्म रखना।
  - टॉइलेट सीटें बदलना।
  - ताले बदलना और टूटी चाबियां बदलवाना।
  - ग्रेट्स, ग्रिड्स, नालियों, पानी के निकास के रास्तों, टॉइलेट्स, बाथ, सिंक और गंदे पानी को बाहर निकालने वाले आउटलेट्स को साफ रखना।
  - इस बात का ध्यान रखना कि अड़चनें (ब्लॉकेज) न पैदा हों।
  - परदों की रेलें और बिजली के बल्ब खरीदना।
  - पाइपों को जमने (फ्रीज होने से बचाने के लिये) उचित उपाय करना।
  - यदि शेयर्ड (साझे वाला) टी-वी ऐरियल न हो तो अपना ऐरियल स्वयं लगवाना।
  - सिंक और वॉश-बेसिन के प्लग बदलना।
  - किवाइं पर लगी घुडियां (नॉक्स) बदलना।
- d मरम्मत के बार में और ज्यादा जानकारी के लिये रिपोर्टिंग योर रिपेयर्स (Reporting Your Repairs) नामक हमारी पुस्तिका पढ़ें, जो हाउसिंग ऑफिस से मिल सकती है।
- e गैर-अर्जेंट मरम्मत या मकान के मुआएने (इंस्पेक्शन) के लिये यदि आपने अनुरोध किया है और हम उस काम के लिये सहमत हुए हैं तो उसकी रसीद आपको दी जाएगी। मरम्मत के काम के संबंध में यदि आपने रिपोर्ट की है और उसकी रसीद सात दिन तक आपको न मिले तो अपने हाउसिंग ऑफिस को सूचित करें।

- f आपके मकान की यदि अपराधजनक तोड़-फोड़ की गई है या उसे अपराधजनक नुकसान पहुंचाया गया है तो उसके बारे में पुलिस को सूचित करना और क्राइम रेफरेंस नंबर लेना ज़रूरी है। आपने यदि ऐसा नहीं किया तो मरम्मत का खर्च आप से लिया जा सकता है।
- g आपके मकान की डेकोरेशंस या मकान में रखे सामान के नुकसान के हरजाने के लिये हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। अपने सामान और डेकोरेशंस के लिये आपको स्वयं इंशोरेंस लेनी चाहिये।
- h बिल्डिंग के ढांचे और अपनी फ़िक्सचर्स और फ़िटिंग्स की इंशोरेंस हम कराएंगे। आप या आपके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने यदि जान-बूझ कर या आकस्मिक (ऐक्सीडेन्टल) नुकसान पहुंचाया तो हमारी इंशोरेंस पॉलीसी उस नुकसान को कवर नहीं करेगी। मरम्मत करते समय यदि हमने आपकी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया तो अपने हाउसिंग ऑफिस या स्वतंत्र सलाहकार से सलाह लें।
- i हाउसिंग ऐक्ट 1985 के तहत आपका अधिकार है कि मकान की व्यवस्था चलाने, उसकी देखरेख और उसमें सुधार लाने जैसे विषयों पर आप से प्रामर्श किया जाना चाहिये। प्रामर्श का कार्य हम किस तरह करते हैं, इसके बारे में हमारे वर्तमान 'कस्टमर चार्टर' में व्याख्या की गई है। इसकी कॉपी आपको अपने हाउसिंग ऑफिस से मिल सकती है।
- j आपकी किराएदारी की शर्तें यदि 1981 संस्करण (सेट) के मुताबिक हैं तो मरम्मत से संबंधित हमारा दायित्व ऊपर दिये गए सारांश से भिन्न है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिये आपको चाहिये कि अपना पुराना टेनेंसी एग्रीमेंट (करारनामा) देखें। इस मामले में आपका हाउसिंग ऑफिसर भी सहायक हो सकता है।

## पार्ट डी (Part D)

### मकान में प्रवेश लेना

- हमें आपके मकान में प्रवेश लेना हो तो आम तौर पर हम आपको कम से 48 घंटे का लिखित नोटिस देंगे।
- हमने अगर आपको 48 घंटे का लिखित नोटिस दिया है तो आपको चाहिये कि अपने मकान का मुआएना करने, मकान में काम करने या किसी अन्य कारण से आप हमारे कर्मचारियों, कांटेक्टर्स या एजेंट्स को अपने घर में आने दें।
- बताने के बाद भी यदि आपने हमें अपने मकान में प्रवेश नहीं दिया तो हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि वह हमें मकान में प्रवेश के लिये कोर्ट-ऑर्डर दे।
- एक बार से ज्यादा अगर आपने हमें अपने मकान में आने से रोका तो उसके लिये हमें हरजाना देना पड़ सकता है। ऐसा होने पर हम और ज्यादा नोटिस दिये बिना दवाज़ा तोड़ कर मकान में प्रवेश ले सकते हैं। यदि हमें हरजाना देना पड़ा तो उसका खर्च हम आपके रेंट-एकाउंट में डाल देंगे।
- इमर्जेन्सी की परिस्थिति में यदि हमें आपके मकान में दवाज़ा तोड़ कर प्रवेश लेना पड़ा तो बिना नोटिस दिये हम आपके मकान में आ सकते हैं।

- 6 आपके मकान में यदि हमें दवाज़ा तोड़ कर जाना पड़ा तो उसका खर्च आप से लिया जा सकता है।
- 7 मकान में मरम्मत का काम होने की परिस्थिति में यदि आपको कुछ समय के लिये अपना मकान छोड़ना पड़ा तो जितने समय के लिये भी ऐसा करना आवश्यक हुआ उतने समय के लिये आपको मकान छोड़ना पड़ेगा।
8. मकान में काम चलने की परिस्थिति में यदि आपको मकान छोड़ना पड़ा तो जब हम आप से वापिस आने के लिये कहें तब आपको वापिस आना चाहिये, और अपने अस्थायी (टेम्परेरी) मकान को साफ़-सुथरा छोड़ कर आना चाहिये। यह तमाम शर्तें आपके अस्थायी (टेम्परेरी) मकान पर भी लागू होंगी।
- 9 यदि आपको अस्थायी (टेम्परेरी) मकान में जाना पड़ा तो दो प्रकार के किरायों में से आपको कम राशि वाला किराया देना होगा, परंतु यह इस बात पर आधारित है कि मकान में होने वाले नुकसान के लिये स्वयं आप कितने ज़िम्मेदार हैं।

## नोट्स (टिप्पणियां)

- a काम करने के लिये यदि कॉन्ट्रैक्टर मकान में न जा सकें तो उसके लिये हमें अकसर हरजाना अदा करना पड़ता है। मकान में प्रवेश न पा सकने के कारण यदि हमें हरजाना देना पड़ा तो उसकी राशि आप से ली जा सकती है, और आपके रेंट एकाउंट में डाली जा सकती है।
- b नियमित रूप से हमें आपके गैस-यंत्रों का निरीक्षण करना होता है, ताकि वे सुरक्षित रूप से काम करते रहें। हमने यदि ऐसा नहीं किया तो हमारे ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस काम के लिये यदि आपने हमें अपने मकान में नहीं आन दिया तो अन्य व्यक्तियों का जीवन ख़तरे में पड़ सकता है।
- c किसी-किसी परिस्थिति में हमें आपके मकान में ताला तोड़ कर जाना पड़ सकता है, जैसे पानी टपकने, गैस फैलने या बिजली की समस्या के कारण। यह मामले ऐसे हैं कि अगर इनकी जल्दी से मरम्मत न की जाए तो जीवन को ख़तरा हो सकता है, या मकान में गंभीर टूट-फूट हो सकती है।
- d आपके घर में यदि हमें दवाज़ा तोड़ कर जाना पड़ा तो मकान छोड़ने से पहले हम उसे पूर्णतयः सुरक्षित बनाएंगे और नए ताले लगाने के बाद आपको चाबी का सैट देंगे। दवाज़ा तोड़ कर अंदर जाने का जो भी खर्च आएगा वो आपको देना पड़ सकता है, जिसकी राशि हम आपके रेंट-एकाउंट में डाल सकते हैं।
- e यदि मकान में मरम्मत का कोई बड़ा काम करने, मकान को ढाने या नए सिरे से बनाने की आवश्यकता पड़ी तो हम आपको किसी दूसरे मकान में भेज सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आम तौर पर हम रहने की दूसरी जगह, हरजाना और सामान ढाने का खर्च देंगे।

## पार्ट ई (Part E)

### अपने मकान का प्रयोग

- 1 अपने मकान में ज़िम्मेदारी से रहें। यह मकान आपका केवल और मुख्य आवास होना चाहिये।

- 2 अपने मकान में आप कोई बिज़निस नहीं चला सकते, जब तक कि लिखित रूप में हमारी सहमति न हो। बिना किसी उचित कारण हम इस से इंकार नहीं करेंगे।
- 3 मकान में गैस, बिजली और पानी जैसी चीज़ों के कनक्शन-चार्जेज़ और उनके बिल भुगताना आपकी ही ज़िम्मेदारी होगी।
- 4 मोपेड, मोटरबाइक, इन जैसी अन्य गाड़ियां या इंजन से चलने वाली किसी तरह की गाड़ी आपको अपने मकान में रखने की आज्ञा नहीं है। खिलौने और गार्डन का सामान मकान के अंदर रखे जा सकते हैं, अगर वे परेशानी का कारण न बनें, कोई नुकसान न पहुँचाएं और उनसे आग लगने का डर न हो।
- 5 अपने मकान को साफ़-सुथरा और लिपा-पुता रखें (मरम्मत से संबंधित पार्ट सी भी देखें)।
- 6 अपने मकान में आने जाने के रास्ते, किसी अन्य मकान में आन-जाने के रास्ते और सामुहिक स्थानों को ब्लॉक न करें। फ़ायर-स्कैप (अग्नरास्तों) को भी ब्लॉक न करें।
- 7 इस बात का ध्यान रखें कि मकान से बाहर यदि आपके पास कोई अन्य बिल्डिंग, यार्ड या गार्डन है तो उनको भी साफ़-सुथरा रखें और वहां कचरा-कूड़ा जमा न होने दें। आपको चाहिये कि अपने गार्डन की देखभाल करें, और पेड़-पौदों, झाड़ियों, बाढ़ो और घास इत्यादि को बहुत बढ़ने से रोकें, और उनको उचित ऊँचाई तक ही जाने दें। पेड़ लगाने से पहले यह ज़रूरी है कि आप अपने हाउसिंग ऑफ़िस से आज्ञा लें।
- 8 अपने घर, सामुहिक स्थानों और घर से बाहर की अपनी बिल्डिंगों को चोर-उचक्कों से बचाए रखने का उचित उपाय करें।
- 9 हाउसिंग ऐक्ट 1985 धारा 93 के तहत आपको लॉजर्स रखने का अधिकार है। अपने मकान का कुछ भाग किराए पर देने का भी आपको अधिकार है, परंतु पूरा मकान किराए पर देने का अधिकार नहीं है।
- 10 हमारी लिखित सहमति बिना आप अपनी किराएदारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं कर सकते।
- 11 आपके मकान से मिली ज़मीन का कोई भाग यदि आपको दिया गया है तो उस ज़मीन पर हमारी लिखित सहमति बिना आप किसी तरह का निर्माण जैसे शेड, गेराज, पोंड, ग्रीनहाउस, फ़ेन्स, दीवार या इन जैसा कोई अन्य निर्माण नहीं कर सकते। किराएदारी समाप्त होने पर आपको इस तरह का हर निर्माण हटाना होगा, अगर हमने उसे वहाँ छोड़ने की लिखित सहमति नहीं दी है।
- 12 अपने मकान या उसके आस-पास सील-बंद गैस (बोटल्ड गैस), पेट्रोल, पेट्रॉलिन या किसी अन्य प्रकार का विस्फोटिक पदार्थ नहीं रखा जा सकता।
- 13 अपने मकान में या उसके आस-पास कचरा-कूड़ा या कोई ऐसा सामान न जमा होने दें जिस से आग लगने का ख़तरा हो या जिसके कारण कीड़े-मकौड़े और जीव-जंतु पैदा हों।
- 14 यदि आप फ़्लैटों वाले ब्लॉक, बेडसिट या मेसोनेट में रहते हैं तो घर में सील-बंद गैस (बोटल्ड गैस), या पेट्रॉलिन से चलने वाला हीटर प्रयोग न करें।

- 15 आपको इस मामले में उचित सावधानी बरतनी चाहिये कि आपकी किसी खिड़की या बाल्कोनी या मकान के किसी अन्य भाग से कोई चीज़ बाहर न फेंकी जाए और न ही गिराई जाए।
- 16 आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आपके घर में आन-जाने वाले ऐसा शोर न करें जिस से आपके पड़ोसियों को परेशानी हो।
- 17 आप और आपके घर में रहने वालों को सुनिश्चित करना चाहिये कि रेडियो, ऑडियो यंत्र, टी-वी, वॉशिंग मशीन, पॉवर-टूल (बिजली से चलने वाले यंत्र) या अन्य यंत्र इस प्रकार प्रयोग न किये जाएं जिस से आपके पड़ोसियों को परेशानी हो।
- 18 यदि आपने हमारी लिखित सहमति नहीं ली है तो मकान में आपको कोई ऐसा सामान फिट नहीं करना चाहिये जिसको निकालना मुश्किल हो (जैसे आर्टेक्स), या ऐसा सामान जो आसानी से आग पकड़ने वाला हो (जैसे पोलिस्ट्रीन टाइल्स), या जो अन्य लोगों के लिये परेशानी का कारण बने (जैसे लेमिनेट का फर्श, या कोई भी ऐसा फर्श, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर)।
- 19 आपके मकान में या मकान के आस-पास यदि आग बुझाने के यंत्र, फायर-एलार्म, स्मोक-डिटेक्टर्स (धुआँ मेहसूस करने वाले यंत्र), सेक्यूरिटी (सुरक्षा) उपकरण या ऐसे ही अन्य यंत्र लगे हैं तो आपको चाहिये कि इन यंत्रों से छेड़-छाड़ न होने दें और न ही उन्हें अपने स्थान से हटाएं। फायर-डोर या सेक्यूरिटी-डोरों को खुला न छोड़ें।
- 20 अपने मकान में आपको बहुत ज़्यादा लोगों को रहने नहीं देना चाहिये, यानी ओवर-क्राउडिंग नहीं होनी चाहिये। ओवर-क्राउडिंग से संबंधित सलाह लेने के लिये अपने हाउसिंग ऑफ़िसर से बात करें।

## नोट्स (टिप्पणियां)

- a एक महीने से ज़्यादा यदि आप बाहर जाने वाले हैं तो घर की देख-रेख के लिये अपने हाउसिंग ऑफ़िसर को बताएं। ज़्यादा अच्छा यह होगा कि उसको लिखित रूप में सूचित करें।
- b यदि आपको हाउसिंग बेनिफ़िट मिलता है तो परिस्थिति में परिवर्तन आने पर हाउसिंग बेनिफ़िट डीपार्टमेंट को अवश्य बताएं।
- c लॉजर उसको कहते हैं जो आपके मकान में आपके साथ रहता/रहती है, आपका/की पार्टनर या संबंधी नहीं है और रहने-सहने का खर्च आपको देता/देती है।
- d भारी सामान या भारी कचरा-कूड़ा यदि अपने घर से हटाने में आपको मुश्किल का सामना हो तो अपने हाउसिंग ऑफ़िसर से पूछें कि इस बारे में हम किस तरह आपकी सहायता कर सकते हैं।
- e कुछ पेड़ ज़मीन से बहुत पानी खींचते हैं, जिसके कारण ज़मीन धंसने लगती है और प्रापटियों को नुकसान पहुँच सकता है, या उनके कारण रोशनी कम हो जाती है, जिस से पड़ोसियों को परेशानी हो सकती है। इसलिये यह अत्यावश्यक है कि यदि आप कोई पेड़ लगाना चाहते हैं तो अपने हाउसिंग ऑफ़िसर से सलाह लें ताकि वे आपको उचित पेड़ों के बारे में मशविरा दे सकें।
- f यदि आप अपना घर छोड़ कर पूरा घर किराए पर दे दें तो आपकी किराएदारी सुरक्षित (सेक्योर) नहीं मानी जाएगी, जिस से आपके कुछ अधिकार कम हो जाएंगे।
- h हाउसिंग ऐक्ट 1985 में कहा गया है कि सुरक्षित (सेक्योर) किराएदारियां केवल कुछ परिस्थितियों में ही अन्य व्यक्तियों के नाम की जा सकती हैं।

## पार्ट एफ़ (Part F)

### परेशान करना और डराना-धमकाना

- 1 स्वयं के आचार-व्यवहार के अलावा आप अपने साथ रहने वालों और मुलाकात के लिये आने वालों के आचार-व्यवहार के भी ज़िम्मेदार हैं (इनमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं), चाहे वे आपके घर में हों, सामुहिक स्थानों पर हों (जैसे सीढ़ियां, लिफ्ट्स, लैडिंग्स, प्रवेश के हॉल, शेयडर गार्डन्स इत्यादि), हमारे ऑफिसों में हों या मकानों की व्यवस्था चलाने वाले हमारे प्रतिनिधियों (ऐजेंट्स) के ऑफिसों में।
- 2 आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जिन लोगों का आप पर दायित्व है वह इस किराएदारी की किसी भी शर्त को न तोड़ें।
- 3 आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आप और आपके साथ रहने वाले या मुलाकात के लिये आने वाले बच्चे और बड़े निम्नलिखित में से कोई भी काम न करें:
  - (i) कोई भी ऐसा काम जिस से किसी भी व्यक्ति के लिये परेशानी खड़ी हो, किसी को सताया या परेशान किया जाए, किसी को गूस्सा दिलया जाए, किसी के लिये बाधा डाली जाए या उसको दुख पहुँचाया जाए, या कोई ऐसा काम जिस से इन सब बातों की संभावना हो।
  - (ii) जो कोई भी आपके साथ रह रहा/रही है उसके साथ मानसिक, यौन-संबंधी या शारिरिक दुर्व्यवहार न किया जाए।
  - (iii) घरेलू अत्याचार (उत्पीड़न) के कारण आपके परिवार के किसी सदस्य को घर न छोड़ना पड़े।
  - (iv) आपके घर को किसी अवैध (गेर-कानूनी) या अनैतिक कार्य के लिये प्रयोग न किया जाए, जिसमें नशीले पदार्थ (ड्रग्स) लेना, बेचना और सप्लाई करना शामिल हैं।
  - (v) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ग़लत शिकायतें न की जाएं।
  - (vi) हमारी किसी भी प्रापर्टी को नुकसान न पहुँचाना जाए या उसमें बाधा न डाली जाए।

### नोट्स (टिप्पणियां)

- a परेशान करने या डराने-धमकाने के उदाहरणों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:
  - शोर-शराबा करना (ज़ोर-ज़ोर से म्यूज़िक बजाना, तर्क-वितर्क यानी बहस करना और धड़के से दरवाज़ा बंद करना)
  - कुत्ते को भूँकने देना या उसका मैला साफ़ न करना
  - नशे में गाली-गलौच करना
  - कचरा-कूड़ा फैलाना
  - अन्य मकानों के आस-पास गैद से खेले जाने वाले खेल खेलना
  - मार-पीट करना या मार-पीट की धमकियाँ देना

- गाली-गलौच करना या अपमानजनक शब्द बकना
  - प्रापटी को तोड़ना-फोड़ना या प्रापटी पर नारे लिखना (ग्रेफीटी बनाना)
  - अपना घर अवैध (गेर-कानूनी) या अनैतिक कार्यों के लिये प्रयोग करना
  - चोरी का माल खरीदना या ऐसा माल अपने घर में स्टोर करना
  - अवैध (गेर-कानूनी) नशीले पदार्थ (ड्रग्स) सप्लाई करना या इस्तेमाल करना
  - पैसा ले कर यौन-संबंधी (सैक्स से संबंधित) कार्य करना
  - हमारी किसी भी प्रापटी को नुकसान पहुँचाना या उसमें बाधा डालना
- b. किसी को भी इन कारणों से परेशान नहीं किया जाना चाहिये: रंग, जाति, धर्म, धर्म-निष्ठा, व्यवसाय, लिंग, यौन-संबंधी धारणा, उम्र, या शारिरिक और मानसिक विकलांगता के आधार पर।

## पार्ट जी (Part G)

### फ़्लैट्स, मेसोनेट्स और सामुहिक स्थान

- 1 जिस बिल्डिंग में आपका मकान है उसके ढाँचे और उसके तमाम सामुहिक स्थानों (शयर्ड ऐरियाज़) की हम देखरेख करेंगे और उनकी मरम्मत करेंगे, जिनमें यह भी शामिल है:
  - a. दवाज़े और खिड़कियाँ;
  - b. दीवारें, फ़र्श और छत;
  - c. सीढ़ियाँ, लिफ़्ट्स, गलियारे (पैसेज-वेज़) और आने-जाने के अन्य रास्ते;
- 2 सामुहिक स्थानों को उचित तरीके और ज़िम्मेदारी से प्रयोग करें। इन स्थानों पर अड़चनें पैदा न होने दें और उनको ख़राब न करें।
- 3 हर प्रकार के कचरे-कूड़े को सही स्थान, शूट्स और कचरे के डिब्बों में डालें। किसी भी सामुहिक स्थान पर न तो कोई चीज़ फेंकें और न फेंकने दें।
- 4 यदि आपकी बिल्डिंग में कचरा फेंकने की शूट है तो उसको कम मात्रा में कचरा फेंकने के लिये इस्तेमाल करें। बड़ी चीज़ें बिन्स में डालें। कचरा फेंकने की शूट्स में स्थानीय समय के अनुसार कचरा फेंकें (आम तौर पर इसका यह मतलब है कि सुबह सात से पहले और रात ग्यारह बजे के बाद उनमें कचरा न फेंकें)।
- 5 सामुहिक स्थानों को ऐसे प्रयोग न करें जिस से आपके पड़ोसियों या मिलने के लिये आने वालों को परेशानी उठानी पड़े, उनको व्यथा हो या वो तंग हों।
- 6 फ़ायर-डूर्स (अग्निदवाज़े), सेक्यूरिटी-डूर्स (सुरक्षा-दवाज़े) या मेन-डूर्स (मुख्य-दवाज़ों) को खुला न छोड़ें।
- 7 हमारी लिखित सहमति बिना किसी भी सामुहिक स्थान पर सामान स्टोर न करें। स्टोर करने के लिये बिना किसी उचित कारण हम इंकार नहीं करेंगे।
- 8 फ़ायर-होज़ज़ (आग पर पानी छिड़कने वाले पाइपों), फ़ायर-हार्डिनेट्स (आग बुझाने के लिये पानी की व्यवस्था से संबंधित यंत्रों), अलमारियों या स्टोरेज ऐरिया (सामान रखने वाले स्थान) इत्यादि में बाधा न डालें।
- 9 सामुहिक स्थानों पर यदि किसी तरह का दोष जैसे ही दिखाई दे उसके बारे में हमें सूचित करें।

### नोट्स (टिप्पणियां)

- a) लिफ़्ट्स, किसी भी सामुहिक स्थान पर और जहाँ-जहाँ नो-स्मोकिंग साइन लगे हैं वहाँ धूम्रपान न करें।

## पार्ट एच (Part H)

### पालतू जानवर (पेट्स)

- 1 अगर आपने पालतू जानवर पाले हुए हैं, या किसी का पालतू जानवर कुछ समय के लिये आपके पास है तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे किसी को डराएं नहीं, और किसी के लिये परेशानी या किसी को तंग करने का कारण न बनें।
- 2 आपको हर ऐसा उचित उपाय करना चाहिये जो पालतू जानवर को इस बात से बाध्य रखने में सहायता दे कि वह किसी को डराएं नहीं, और किसी को परेशान या तंग न करें (यदि ऐसा हुआ तो हम समझते हैं कि आपको उसका हरजाना भी अवश्य देना चाहिये)
- 3 आपके किसी पालतू जानवर ने अगर किसी को परेशान किया, तंग किया या डराया तो हमारी आज्ञा बिना आप उस पालतू जानवर को अपने पास नहीं रख सकते।

### नोट्स (टिप्पणियां)

- a. जानवरों द्वारा सताने-परेशान करने के कुछ उदाहरण ये हैं:
  - बदबू पैदा होना
  - मैला पड़ा होना
  - बहुत शोर होना, और
  - डराने वाला स्वभाव होना

## पार्ट आई (Part I)

### गाड़ियाँ

इसका संबंध केवल स्टैट की सड़कों और उस भूमि से है जो काउंसिल की प्रापर्टी है

- 1 आप या आपके घर में रहने वालों और मिलने के लिये आने वालों को अपनी गाड़ियाँ केवल उन स्थानों पर पार्क करनी चाहियें जो पार्किंग के लिये विशेष किये गए हैं।
- 2 आप या आपके घर में रहने वालों और मिलने के लिये आने वालों को चाहिये कि वे अपनी गाड़ियाँ ऐसे पार्क न करें जिस से इमर्जेंसी में प्रयोग की जाने वाली गाड़ियों का रास्ता रुके, और हमारे या कांटेक्टों के काम में बाधा पड़े।
- 3 आप या आपके घर में रहने वालों और मिलने के लिये आने वालों को चाहिये कि वे टूटी-फूटी गाड़ियाँ या बिना-टैक्स गाड़ियाँ अपने गैराजों में या आपकी अपनी निजी ड्राइव में पार्क करें।
- 4 आप या आपके घर में रहने वालों और मिलने के लिये आने वालों को चाहिये कि उन्हें अपनी गाड़ियों की मरम्मत ऐसे स्थानों पर नहीं करनी चाहिये जहाँ पर अन्य लोगों को परेशानी हो या उन्हें तंग होना पड़े।

- 5 ऐसी किसी भी गाड़ी को हम क्लैम्प कर सकते हैं, हटवा सकते या नष्ट करवा सकते हैं जो अवैध (गैर कानूनी) तरीके से पार्क की गई है, लावारिस छोड़ दी गई है, ख़तरे का कारण है या टूटी-फूटी हालत में है। इसपर आने वाला तमाम खर्च हम गाड़ी के मालिक से लेंगे। यह शर्त उन गाड़ियों के लिये भी है जिनपर वर्तमान टैक्स-डिस्क नहीं लगी है या जिनके लिये मान्य पार्किंग पर्मिट नहीं है (अगर यह आवश्यक है तो)।
- 6 आप या आपके घर में रहने वालों और मिलने के लिये आने वालों को चाहिये कि हमारी आज्ञा बिना वे कोड़ भी ऐसी कमर्शियल (व्यवसायी) गाड़ी स्टैट की सड़कों पर पार्क न करें जिसका लाइसेंस 7.5 टन भार लेजाने के लिये है, या जिसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है।

## नोटिस (टिप्पणियां)

- a हम जानते हैं कि गाड़ियां बहुत सी समस्याएँ पैदा कर सकती हैं, और आशा रखते हैं कि ऊपर दी गई शर्तों के कारण यह समस्याएँ संभवतः कम से कम रहेंगी।
- b यदि आपको गाड़ियों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो मामले को अपने हाउसिंग ऑफिस के साथ उठाएं।
- c पार्किंग के स्थान यदि सीमित हैं तो समझदारी से काम लेते हुए अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें।
- d अपने घर के सामने वाले गार्डन (फ्रंट गार्डन) में यदि आप पार्किंग स्थान बनाना चाहते हैं तो इसके लिये आपको हमारी लिखित सहमति चाहिये होगी।
- e गाड़ियों से पैदा हाने वाली समस्याओं के उदाहरण ये हैं: तेल बहना (ऑइल-लीक), फुटपाथ पर गाड़ियों के पार्ट्स छोड़ देना और मोहल्ले में भद्दापन पैदा करना।

## पार्ट जे (Part J)

### अपना मकान छोड़ना और किराएदारी समाप्त कर देना

- 1 अगर आपको अपनी किराएदारी समाप्त करनी है तो आपको हमें चार सप्ताह का लिखित नोटिस देना होगा। चार सप्ताह का नोटिस रविवार या सोमवार को समाप्त होना चाहिये, और आपको हमें अपना वह पता देना होगा जहां आप रहने जा रहे हैं।
- 2 किराएदारी समाप्त करने का नोटिस देने के बाद आपको चाहिये कि हमें अपने घर में आने दें, ताकि हम मकान का इंसपेक्शन कर सकें और नए किराएदारों को मकान दिखा सकें।
- 3 किराएदारी समाप्त होने पर आपको अपना मकान बिल्कुल ख़ाली और सुरक्षित अवस्था में छोड़ना होगा, और मकान की सब चाबियाँ हमें वापिस करनी होंगी। अगर आपने गेराज या शेड भी अपने मकान के साथ किराए पर लिये हुए हैं तो उनको भी बिल्कुल ख़ाली अवस्था में छोड़ना होगा।
- 4 जिस सोमवार को आपकी किराएदारी समाप्त होने वाली है उस सोमवार के दिन दुपहर बारह बजे तक आपको अपनी चाबी हाउसिंग ऑफिस को वापिस देनी चाहिये। समय पर यदि आपने चाबी वापिस नहीं की तो चाबी की वापसी तक हम हर सप्ताह या सप्ताह

के शेष का किराया आप से वसूल करेंगे। अगर हमें प्रापर्टी के ताले बदलने पड़े तो उसका खर्च भी आपसे लिया जाएगा।

- 5 किराएदारी के अंत पर यदि यह पाया गया कि मकान को नुकसान पहुँचा है या हमारी चीज़ें आपने निकाल ली हैं तो मरम्मत या उन चीज़ों को दुबारा ख़रीदने और किसी भी अन्य प्रकार के नुक़सान का हरजाना आपसे लिया जाएगा।
- 6 हमें पहले बताए बिना यदि आपने मकान में रहना बंद कर दिया है, क्योंकि अब यह आपका मुख्य और केवल घर नहीं रह गया है तो हम यह मान कर चलेंगे कि आपने अपनी किराएदारी समाप्त कर दी है।
- 7 किराएदारी समाप्त होजाने पर यदि आपने प्रापर्टी में अपना सामान छोड़ दिया है तो हम उसे या तो फिंकवा देंगे या क़ानून के मुताबिक स्टोर में रखवाएंगे, जिसका खर्च आपको देना होगा।

## पार्ट के (Part K)

### सूचना उपलब्ध कराना, सलाह लेना और किराएदारों को व्यवस्था में शामिल रखना

- 1 किराएदारों के लिये यह उपयोगी है कि वे निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया (प्रोसेस) में शामिल किये जाएं।
- 2 हम उन किराएदारों को प्रोत्साहन देते हैं जो अपने मकानों की व्यवस्था स्वयं चलाने के इच्छुक हों, और ऐसा करने के कई उपाय उनको बता सकते हैं।
- 3 किराएदार बहुत से मामलों में भाग ले सकते हैं। यदि वे भाग लेना चाहें तो इस बारे में हम उनका मार्गदर्शन करेंगे।
- 4 हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किराएदारों को कुशलता से सूचना उपलब्ध कराई जाए, जो आसान भाषा में हो।
- 5 उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना आसान अंग्रेज़ी में होगी, जो अन्य भाषाओं में, बड़े अक्षरों की छपाई, ब्रेल और सुनने वाली कसेट के माध्यमों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- 6 तमाम सूचना स्पष्ट रूप में दी जाएगी, जिसमें हम मोटे-मोटे तकनीकी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। हमारी भाषा सांप्रदायिकता, लिंगभेद या किसी अन्य प्रकार के झुकाव या भेदभाव से बोझिल नहीं होगी। दी जाने वाली सूचना का स्तर ऊँचा होगा, वह समय पर दी जाएगी और आवश्यकताओं के मुताबिक होगी।
- 7 हम बहुत से विषयों पर किराएदारों को सूचना देंगे।
- 8 प्रामार्श के लिये की जाने वाली मीटिंगों से संबंधित जानकारी और दस्तावेज़ों मीटिंग से कम से कम एक सप्ताह पहले उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 9 हम कोशिश करेंगे कि जो मीटिंगें प्रामार्श के लिये रखी जाती हैं उनके बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले किराएदारों को बताया जाए।

- 10 प्रामर्श के वास्ते जो प्रस्ताव तैयार किये गए हैं उनपर विचार के लिये हम किराएदारों को कम से कम तीन सप्ताह का समय देंगे।
- 11 किरायों और सर्विस चार्जेज़ में परिवर्तन लाने के लिये हमें किराएदारों से सलाह लेना ज़रूरी नहीं है, परंतु किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन लाने के लिये कम से कम चार सप्ताह पहले हम किराएदारों को लिखित रूप में सूचना देंगे।।
- 12 यदि आपको चाहिये तो हम आपको टेनेन्ट-कॉम्पैक्ट (Tenant Compact) की एक कॉपी दे सकते हैं। इस दस्तावेज़ में बताया गया है कि हम प्रामर्श किस तरह करते हैं और हाउसिंग सर्विस में आपको शामिल रखने का क्या तरीका है।
- 13 हाउसिंग ऐक्ट 1985 की धारा 102 और 103 के मुताबिक हम किराएदारी की शर्तों (करारनामे) में परिवर्तन कर सकते हैं। किराए और सर्विस चार्जेज़ में परिवर्तन के अलावा बाकी हर मामले में परिवर्तन लाने के लिये पहले हम आपसे मशविरा करेंगे।

## पार्ट एल (Part L)

### नोटिस

- 1 किसी भी तरह का नोटिस यदि आप हमें देना चाहें तो अपने हाउसिंग ऑफिस को दें या पोस्ट करें, या डाइरेक्टर-ऑफ- हाउसिंग (Director of Housing) के नाम निम्नलिखित पते पर भेजें:  

Mahatma Gandhi House  
34 Wembley Hill Road  
Wembley  
Middlesex  
HA9 8AD.
- 2 हमारी तरफ़ से आपको दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का नोटिस आपके पते पर पोस्ट किया जाना चाहिये या आपके घर पर आपको दिया जाना चाहिये।